

पत्रांक- 38/12/ग्रू0हा0/विन्यास/वि0प्रा0/2020-21 दिनांक - 7-7-2020

भाग-द

परिशिष्ट-6  
(प्रपत्र- 'ब' पृष्ठ 4/4)

## **वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।**

**विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र**

रूद्रा रियल स्टेट लिमिटेड के निदेशक, श्री आनन्द कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० अशोक कुमार अग्रवाल आराजी संख्या 2 ख, 4,9 ख, 10 ग, 5 मि०, 8 ख मि०, 9 ख मि०, 10 ग, मौजा तिलमापुर परगना शिवपुर वार्ड-शिवपुर व जिला-वाराणसी पर क्षेत्रफल-6947.17 वर्गमीटर पर ग्रूपहाउसिंग भवन पर दिये गये उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवर अभियन्ता श्री गौरी शंकर, व मो० जमाल, सहायक अभियन्ता श्री ए० के० दूबे तथा नगर नियोजक श्री मनोज कुमार द्वारा कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत शमन मानचित्र परमिट संख्या 38/12/ग्रू0हा0/शमन/विन्यास/वि0प्रा0/2020-21 दिनांक 04.07.18 को निर्गत किया गया है, के अनुरूप सही पाया गया है। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, वाराणसी तथा आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए सचिव/उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 29.01.18 के क्रम में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15क (2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। स्वीकृत मानचित्र में आरोपित किसी शर्त हेतु प्रेषित शपथ पत्र के अनुसार उल्लंघन करने की दशा में दी गयी अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जायेगी। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अनापत्ति पत्र सं० एस०टी०/एफ०एस०/आई०-3(सी)/2018 दिनांक नवम्बर 02, 2018 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

**अभिलेख जो संज्ञान में लिये गये :-**

1. मुख्य अग्नि अधिकारी वाराणसी।

एस०टी०/एफ०एस०/आई०-3(सी)/2018

दिनांक नवम्बर 02, 2018

हस्ताक्षर-



प्रभारी अधिकारी, मानचित्र

2. आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इन्जी० का प्रमाण-पत्र

3. पृष्ठ भाग पर अंकित शर्त का अनुपालन करना होगा।

शर्तें -

1. अपार्टमेंट एक्ट/रेग के शर्तों का अनुपालन करना होगा। प्रश्नगत परियोजना के नाम से रेग में पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या-यू0पी0रेग-पी आर जे 4663 है।
2. विकासकर्ता को अपार्टमेंट एक्ट एवं रेग की शर्तों के अनुसार एक वर्ष की अवधि में रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी का गठन कर विभाग को सूचित करना होगा।
3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, द्वारा जारी अनापत्ति पर अंकित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
4. क्षेत्र में पी0एन0जी0 की उपलब्धता होने पर पक्ष को पी0एन0जी0 कनेक्शन लेना होगा।
5. रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी के हस्तान्तरण तक निर्मित फ्लैटों के अध्यासन के उपरान्त होने वाले कमियों को ठीक कराने के साथ-साथ अनुरक्षण का कार्य विकासकर्ता के द्वारा कराया जायेगा।
6. अन्तिम रूप से भविष्य में पूर्णता पर यदि कोई देयता आरोपित होती है, तो पक्ष को भुगतान करना होगा।
7. वर्तमान समय में मुख्य मार्ग पर सीवर लाइन उपलब्ध नहीं है। विकासकर्ता के द्वारा सीवर निस्तारण हेतु स्थापित एस0टी0पी0 का संचालन कुशल आपरेटर से कराया जायेगा तथा इससे निकलने वाला स्वच्छ जल का उपयोग गार्डन की सिंचाई तथा वाहन की सफाई में उपयोग किया जायेगा।
8. रेन वाटर हार्वैस्टिंग के क्रियाशील के सम्बन्ध में बर्सात के मौसम में प्राधिकरण से पुष्टि कराकर क्रियाशील होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
9. वाटर हीटिंग सिस्टम छत पर स्थापित किया गया है। सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम को रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी को हस्तान्तरण करना होगा।
10. वृक्षों को हरा-भरा रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी को हस्तान्तरण के समय वृक्षों को सोसायटी को हैण्ड ओवर करना होगा।
11. पार्किंग स्थल को पूर्णतया रिक्त रखना होगा। इस पर किसी भी प्रकार स्थायी अथवा अस्थायी निर्माण नहीं करना होगा।
12. भू-स्वामित्व सम्बन्धित, रास्ता सम्बन्धित बटवारा सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में मानचित्र अस्वीकार माना जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
13. स्वीकृत शमन मानचित्र में बेसमेन्ट तक लिफ्ट का प्राविधान है। जबकि कम्प्लीशन प्लान में स्थल पर लिफ्ट का प्राविधान स्टील तक ही किया गया है, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी से सहमति पत्र प्राप्त कर एक प्रति प्राधिकरण को उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा कि स्थिति में दी गयी स्वीकृति अमान्य होगी।
14. फ्लैटों का रैंडम संयुक्त निरीक्षण हुआ है यदि किसी फ्लैटो में कोई कमी पायी जाती है तो विकासकर्ता को कब्जे के समय पूर्ण कराकर देना होगा।
15. रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी की गठन तक अपार्टमेंट की अनुरक्षण की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता होगी।

हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी, मानचित्र